# मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर (राज.)

**पीठासीन अधिकारी – अनवर अहमद चौहान** (आर.जे.एस.)
**जिला न्यायाधीश संवर्ग**
**मोटरयान दुर्घटना दावा संख्या :– 199/2022**
**सीआईएस संख्या :– 199/2022**

1. श्रीमती ललिता चौधरी पत्नी स्व. जालाराम, उम्र 25 वर्ष
2. मुकेश पुत्र स्व. जालाराम, उम्र 04 वर्ष
3. विमला पुत्री स्व. जालाराम, उम्र 09 वर्ष
4. आरती पुत्री स्व. जालाराम, उम्र 07 वर्ष
5. ममता पुत्री स्व. जालाराम, उम्र 04 वर्ष
6. श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री जेठाराम, उम्र 59 वर्ष
7. जेठाराम पुत्र श्री साजनराम, उम्र 64 वर्ष
   प्रार्थी संख्या 02 ता 05 नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती ललिता चौधरी
   निवासीगण डण्डकलां तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।

.........प्रार्थीगण

**—:बनाम:—**

1. विनोद गिरी पुत्र श्री अर्जुन गिरी, निवासी शास्त्री नगर बज्जू, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।

.........वाहन मालिक (पिकअप संख्या **RJ-07-GD-2236**)

2. विक्रम सिंह पुत्र श्री सांगसिंह निवासी भाटियों की ढाणी केसुम्बला पीएस गिड़ा जिला बाड़मेर।

........वाहन चालक(पिकअप संख्या **RJ-07-GD-2236**)

3. टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड जरिये शाखा प्रबन्धक 205–208, ग्रीन हाऊस, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

........वाहन बीमा कम्पनी( पिकअप संख्या **RJ-07-GD-2236**)

.............अप्रार्थीगण

## प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988

उपस्थिति :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. श्री रामनारायण सहारण | – | अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण |
| 2. एकपक्षीय कार्यवाही | – | वास्ते अप्रार्थी संख्या 01 व 02 |
| 3. श्री धीरेन्द्र सिंह राठौड़ | – | अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी संख्या 03 |

**:: अधिनिर्णय ::** **दिनांकः– 21 जुलाई, 2026**

**1.** प्रार्थीगण श्रीमती ललिता चौधरी आदि द्वारा दुर्घटना में अपने पति जालाराम की मृत्यु होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध क्लेम याचिका दिनांक 13.05.2022 को अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई।

**2.** प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत याचिका के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 05.06.2020 को जालाराम अपनी मोटरसाईकिल संख्या आर.जे.–07–जीएस–5947 पर सवार होकर बज्जू से अपने गांव डण्डकला जा रहा था जब वह समय करीब 6.00–6.30 पी.एम. पर सड़क आम, 95 आर.डी. से गोकुल पर केरली कृषि फार्म के पास पहुंचा तो पीछे से एक पीकअप संख्या आर.जे.–07–जीडी–2236 के चालक अप्रार्थी संख्या 02 ने अपनी पिकअप को बहुत तेज गति एवं लापरवाही तथा गफलत से चलाकर सड़क के किनारे चल रहे जालाराम के टक्कर मारी जिससे उनके शरीर पर कई गंभीर प्रकृति की चोटें आई। उक्त दुर्घटना में आई चोटों के कारण दौराने ईलाज दिनांक 14.06.2020 को जयुपर में उसकी मृत्यु हो गई। उक्त दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 02 की गलती व लापरवाही के कारण घटित हुई, जो वाहन पीकअप संख्या आर.जे.–07–जीडी–2236 का संचालन अप्रार्थी संख्या 01 के नियोजन, नियंत्रण, निर्देशन में उसके हितार्थ व लाभार्थ कर रहा था तथा अप्रार्थी संख्या 03 के यहां बीमित था। प्रथम सूचना रिपार्ट संख्या 87/2020 के अंतर्गत धारा 279 व 304ए भा.द.स. में पुलिस थाना बज्जू, जिला बीकानेर में दर्ज की गई। अनुसंधान अप्रार्थी संख्या 02 के विरूद्ध संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। याचिका इस अधिकरण के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है। जिसका पुर्व में क्लेम अन्य किसी अदालत में प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा क्लेम याचिका में वर्णित विभिन्न मदों में लिखित राशि मय ब्याज दिलवाये जाने का निवेदन किया।

**3.** अप्रार्थी संख्या 01 व 02 जो कि प्रश्नगत वाहन के मालिक एवं चालक है जिन्हे सही पते पर रजिस्टर्ड नोटिस तामील किये जाने के पश्चात भी अधिकरण में उपस्थित नहीं होने के कारण अधिकरण के आदेश दिनांक 18.03.2023 द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

**4.** अप्रार्थी संख्या 03 के अधिवक्ता की ओर से जवाब पेश कर याचिकाओं में दर्ज कथनों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि कथित दुर्घटना कि जो प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना बज्जू में 10 दिन विलम्ब से दिनांक 15.06.2020 को अज्ञात वाहन के विरूद्ध दर्ज करवाई गई है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में वाहन की प्रकृति भी अंकित नहीं करवायी गई है। कथिन दुर्घटना होने के पश्चात् मृतक को पीएचसी बज्जू एवं उसके पश्चात् पीबीएम अस्पताल तथा उसके बाद एपेक्स अस्पताल रैफर करना अंकित करवाया गया है। एपेक्स अस्पताल के ईलाज के दस्तावेज के अनुसार मृतक कोरोना से पीड़ित था तथा कोरोना के कारण ही उसे एपेक्स अस्पताल से एस.एम.एस. अस्पताल के लिए रैफर किया गया था। आवेदकगण के पास पुलिस को सूचना देने के पर्याप्त अवसर थे। अस्पताल के चिकित्सकों के जरिये भी पुलिस को सूचना दी जा सकती थी। बीमित वाहन पिकअप संख्या **RJ-07-GD-2236** को दिनांक 19.12.2020 को कथित दुर्घटना के करीब 06 माह 20 दिन बाद जप्त किया गया है। अनुसंधान अधिकारी ने अपने द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र में यह कहीं अंकित नहीं किया है कि उसने पिकअप संख्या **RJ-**

**07-GD-2236** को किस स्रोत से कथित दुर्घटना में लिप्त होना माना? इतने लम्बे समय बाद वाहन की फर्द जप्ती आवेदकगण के प्रकरण को प्रथम दृष्ट्या संदिग्ध एवं झूठी कहानी प्रमाणित करती है। वास्तविकता यह है कि मृतक जालाराम कथित दुर्घटना के समय तेज गति एवं लापरवाही से स्वयं की मोटरसाइकिल चलाते हुए जा रहा था। मृतक को न तो मोटरसाइकिल चलानी आती थी और न ही उसके पास इस प्रकार के वाहन को चलाने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध एवं प्रभावी चालक अनुज्ञा पत्र मौजूद था। यही कारण रहा कि मृतक के नौसिखिया चालक होने एवं मृतक की मोटरसाइकिल की गति अत्यधिक होने के कारण असंतुलित होकर स्वयं की मोटरसाइकिल से गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अज्ञात वाहन के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाना ही यह प्रमाणित करता है कि आवेकदगण का मामला झूठा है। फौजदारी प्रकरण में चालक से आवेदकगण का राजीनामा हो चुका है। फौजदारी प्रकरण में सभी गवाह पक्षद्रोही हो गए हैं। ये सारे तथ्य आवेदकगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के मध्य आपस में कोल्यूजन होना प्रमाणित करते हैं। केवल मात्र उत्तरदाता बीमा कम्पनी से क्लेम प्राप्त करने की मंशा से बीमित वाहन के चालक एवं स्वामी से मिलिभगत एवं दुर्भिसंधी करके पुलिस ऐजेन्सी का नाजायज सहयोग प्राप्त करके गलत रूप से बीमित वाहन को कथित दुर्घटना में लिप्त किया है। कथित दुर्घटना की प्राथमिकी के अनुसरण में बनाये गये नक्शा मौके एवं हालात मौके तथा वाहन पिकअप संख्या **RJ 07 GD 2236** व मोटरसाइकिल संख्या **RJ-07-GS-5947** की एमटीओ रिपोर्ट से उक्त दुर्घटना बीमित वाहन से होनी प्रथम दृष्टया प्रदर्शित एवं प्रमाणित नहीं होती है। वरवक्त तथाकथित दुर्घटना के समय तथाकथित वाहन चालक के पास तथाकथित वाहन चलाने का कोई वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस नहीं था । इंश्योरेंस पॉलिसी में यह स्पष्टतया शर्त है कि वाहन को वैद्य व प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंसधारी ही चलाने के लिए सक्षम है। मालिक के द्वारा जानते हुए भी ऐसे चालक को वाहन चलाने के लिए सुपूर्द किया है, जिसके पास वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस नहीं था, उसके द्वारा पॉलिसी शर्त का स्वेच्छया से खण्डन किये जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 03 का कोई किसी प्रकार का दायित्व नहीं है। यह कि वरवक्त तथाकथित दुर्घटना तथाकथित पिकअप को परिवहन किये जाने के लिए कोई वैध परमिट व फिटनेस नहीं था। कानूनन व पॉलिसी के अंतर्गत बिना वैध परमिट व फिटनेस के पिकअप को नहीं चलाया जा सकता हैं। पॉलिसी शर्तो का खण्डन होने के कारण अप्रार्थी संख्या 03 का कोई किसी प्रकार का दायित्व नहीं हैं।

**5.** उभयपक्ष के परस्पर विरोधाभासी अभिवचन एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर निम्नांकित विविधक विर्चित किए गए :–

1. आया दिनांक **05.06.2020** को समय करीब **06:00–06:30 पी.एम.** पर, सड़क आम, 95 आर.सी. से गोकुल पर, केरली फार्म हाउस के पास, वाहन **पिकअप संख्या RJ-07-GD-2236** के चालक अप्रार्थी संख्या 02 विक्रम सिंह द्वारा अपने वाहन को तेजगति, व लापरवाही चलाकर सड़क के किनारे चल रहे वाहन **मोटरसाईकिल**

| |
|---|
| **संख्या RJ-07-GS-5947** के टक्कर मारी। जिसके परिणामस्वरूप **मोटरसाईकिल संख्या RJ-07-GS-5947** पर सवार जालाराम के शरीर पर साधारण एवं गंभीर प्रकृति की चोटें आई? उक्त दुर्घटना में आई चोटों के कारण दौराने ईलाज दिनांक 14.06.2020 जालाराम की मृत्यु हो गई? ——प्रार्थीगण—— |
| 2. आया वक्त दुर्घटना वाहन **पिकअप संख्या RJ-07-GD-2236** का चालक उक्त वाहन को अप्रार्थी संख्या 01 के नियोजन व निर्देशन में व उसके हितार्थ एवं लाभार्थ चला रहा था? व वक्त दुर्घटना उक्त वाहन अप्रार्थी संख्या 03 के यहां बीमित था? ——प्रार्थीगण—— |
| 3. आया विपक्षी संख्या 03 अपने जवाब प्रार्थना पत्र की आपत्तियां वर्णित कारणों से क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी के लिये उत्तरदायी नहीं है? ——विपक्षी संख्या 03—— |
| 4. आया प्रार्थी अपने क्लेम प्रार्थना पत्र में वर्णित क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने अधिकारी हैं, यदि हां तो किससे एवं किस कदर ? ——प्रार्थीगण—— |
| 5. अनुतोष ? |

**6.** साक्ष्य प्रार्थीगण में गवाह AW-01 श्रीमती ललिता, गवाह AW-02 फते खां तथा गवाह AW-03 भोमाराम के बयान लेखबद्ध करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–01 लगायत प्रदर्श–45 को प्रदर्शित करवाया। अप्रार्थीगण की ओर से उक्त साक्ष्य के खण्डन में किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य को प्रदर्शित नहीं करवाया गया है।

**7.** प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्तागण श्री रामनारायण सहारण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए दौराने बहस तर्क प्रस्तुत कया कि दुर्घटना के समय जालाराम अपनी मोटरसाईकिल संख्या आर.जे.–07–जीएस–5947 पर सवार होकर बज्जू से अपने गांव डण्डकला जा रहा था। उसी दौरान सड़क आम, 95 आर.डी. से गोकुल पर केरली कृषि फार्म के पास पीछे से पीकअप संख्या आर.जे.–07–जीडी–2236 के चालक अप्रार्थी संख्या 02 ने अपनी पिकअप को बहुत तेजगति, लापरवाही तथा गफलत से चलाकर सड़क के किनारे चल रहे जालाराम के टक्कर मारकर उक्त दुर्घटना कारित की। उक्त दुर्घटना में आयी चोटों के कारण जालाराम की मृत्यु हो गयी। मृतक द्वारा सभी प्रार्थीगण का भरण–पोषण किया जाता था, इसलिए क्लेम याचिका में अंकित मुआवजा राशि मय ब्याज दिलाये जाने का निवेदन किया।

**8.** अप्रार्थी बीमा कम्पनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र सिंह राठौड़ द्वारा उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए लिखित बहस प्रस्तुत कर दौराने बहस तर्क प्रस्तुत किया कि दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट 10 दिन विलम्ब से

अज्ञात वाहन के विरुद्ध दर्ज करवायी गयी है तथा प्रश्नगत वाहन को घटना के साढ़े छह माह माद जब्त किया गया है, जिससे यह सम्भावना उत्पन्न होती है कि बीमित वाहन दुर्घटना में संलिप्त नहीं था, वाहन का पता नहीं चलने पर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी वाहन चालक व स्वामी से मिलकर गलत रूप से बीमित वाहन को दुर्घटना में संलिप्त किया गया है, इसलिए क्लेम याचिका अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया तथा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत अधिकरण में परीक्षित करवाये हैः–

A. **2025 Supreme (SC) 10668 Sithara N.S. & Ors. Vs. Sai Ram General Insurance Company limited**
B. **2025 INSC 1077 Vanita & Ors. Vs. M/s Shriram Insurance Company ltd. & Anr.**
C. **2016 (1) CCR 119 (Raj.)Chotha Ram & Anr. Vs. Smt. Lal Kanwar & Ors.**
D. **2023 (1) CCR 41 (Raj.) Ratan Lal Vs. Laddu Kumar & Other**
E. **2016 (2) R.A.R. 507 (Raj.) Mukesh Vs. Pradeep Kumar & Ors.**
F. **Special Leave Petition (Civil) 8479 of 1999 United India Insurance Co. Ltd. VS. Rajendra Singh & Ors.**
G. **2013 (1) CCR Page 53 SC Surendra Kumar Arora Vs. Dr. manoj Bisla**
H. **CCR 2011 (1) Page 305 Sunita Chouchan Vs. Hanuman Singh**

**9.** उभय पक्ष के परस्पर विरोधाभासी तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। प्रत्येक विवाधक पर विनिश्चय निम्न प्रकार हैः–

**विवाद्यक संख्या–01 व 02**

**10.** विवाद्यक संख्या 01 व 02 को प्रमाणित करने का भार प्रार्थीगण पर है। तथ्य व साक्ष्य की पुनरावर्ति को रोकने के लिए एवं सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त दोनों विवाद्यकों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

**11.** इस तरह के मामलों में यह सुस्थापित विधि है कि प्रार्थी पक्ष को ही प्रश्नगत वाहन की दुर्घटना में संलिप्तता व उसके चालक की लापरवाही व उपेक्षा का तथ्य प्रमाणित करना होता है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय **Surender Kumar Arora And Anr. Vs. Dr. Manoj Bisla And Ors. II (2012) ACJ Page 1285 (SC)** में प्रतिपादित किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी सुस्थापित विधि है कि अधिकरण को भी इस तरह के मामलों में सम्भावनाओं की प्रबलता के आधार पर ही मामला साबित करना होता है, न कि सन्देह से परे।

**12.** इस सन्दर्भ में प्रार्थीया AW-01 ललिता द्वारा जांच मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसके पति जालाराम की दिनांक 05.06.2020 सामय 06:30 बजे सायं को केरली कृषि फार्म के पास पिकअप से हुई सड़क दुर्घटना में आयी चोटों के

कारण दिनांक 14.06.2020 को जयपुर में मृत्यु हो गयी। उक्त दुर्घटना के सम्बंध में चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया गया था। उक्त दुर्घटना कारित करने वाली पिकअप विनोद गिरी की थी जो बज्जु का रहने वाला है। फौजदारी पत्रावली के दस्तावेज प्रदर्शित करवाते हुए जांच प्रति परीक्षण में साक्षीया ने स्वीकार किया कि उसने दुर्घटना नहीं देखी। दुर्घटना बाबत् जो तथ्य उसने दर्ज करवाये है वह सुनी–सुनाई बातों के आधार पर बताये है। इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसने प्राथमिकी दर्ज नहीं करवायी और ना ही उसके सामने नक्शा मौका बनाया गया। इस तथ्य को स्वीकार किया कि दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात वाहन के विरुद्ध दर्ज करवायी गयी थी। इस तथ्य को स्वीकार किया कि दिनांक 05.06.2020 को याचिका में वर्णित वाहन से दुर्घटना होने बाबत् इस तारीख का कोई रोजनामचा पेश नहीं किया है। वह वाहन के नम्बर नहीं बता सकती। इस तथ्य से इन्कार किया कि उसके पति की मौत स्वयं की मोटरसाईकिल चलाते हुए स्वयं की गलती व लापरवाही से हुई हो। इस तथ्य से इन्कार किया कि उसके पति की कोराना से मृत्यु हुई हो। इस तथ्य से इन्कार किया कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 उनके मिलने वाले हो वह नहीं बता सकती कि यह दुर्घटना किसने देखी थी। वह नहीं बता सकती कि याचिका में वर्णित वाहन को कितने दिनों बाद जब्त किया गया।

**13.** प्रार्थीगण की ओर से दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में AW-02 फते खां को अधिकरण में परीक्षित करवाया गया है जिसके अनुसार, दिनांक 05.06.2020 को वह व उसका भाई अकबर मोटरसाईकिल पर सवार होकर बज्जू से अपने गांव डेहरिया जा रहे थे। जब वे केहरली कृषि फार्म के पास पहूंचे तो पीछे से एक पिकअप बहुत तेजगति से आयी और आगे चल रही मोटरसाईकिल के टक्कर मारी। पिकअप के नम्बर 2236 थे उक्त पिकअप विनोद गिरी निवासी शास्त्री नगर बज्जू की थी। वह व उसका भाई व वहां खेत पड़ौसी एक मेघवाल ने अन्य साधन से बज्जु अस्पताल पहुंचाया और उनके साथ मेघवाल था उसने घायल के परिजनों को सूचना दी। उसके बाद घायल का भाई भोमाराम आया और उसके घायल भाई को लेकर बीकानेर आ गया। उन्हें बाद में पता चला कि दुर्घटना में घायल का नाम जालाराम निवासी डण्डकला था जिसकी बाद में ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। पुलिस में उसके बयान चार–पांच माह बाद हुए थे क्योंकि उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था और लॉकडाउन खुलने के बाद पुलिस ने उन्हें बुलाया और उनके बयान लिये। उक्त दुर्घटना पिकअप चालक की गलती से हुई थी क्योंकि दुर्घटना के समय पिकअप चालक पिकअप को लापरवाही से चला रहा था। जांच प्रति परीक्षण में साक्षी ने स्पष्ट किया कि वह मोटरसाईकिल के नम्बर नहीं बता सकता। उसने किसी को सूचना नहीं दी। अज खुद ने कहा कि उसके साथ वाले ने सूचना दी थी। दुर्घटना कारित करने वाला वाहन दन्तौर साईड भाग गया। उसने व अकबर ने पुलिस को सूचना नहीं दी। इस तथ्य को स्वीकार किया कि जब वह मौके पर पहूंचा तो मोटरसाईकिल वाला रोड पर पड़ा था। मोटरसाईकिल बायीं साईड में पड़ी थी। मोटरसाईकिल काले रंग की थी और लाल पट्टे थे। मोटरसाईकिल आगे व पीछे से टूटी थी। मृतक जालाराम के सिर में चोट लगी थी। वह व उसका भाई अकबर

व एक मेघवाल जिसका नाम उसे याद नहीं है घायल को बज्जु अस्पताल लेकर गए। जिस साधन से अस्पताल लेकर गए उसके नम्बर उसे याद नहीं है। बज्जु से घायल को बीकानेर उसका भाई भोमराम लाया था, वह उनके साथ नहीं आया। पुलिस ने उसके सामने लिखा—पढ़ी की कार्यवाही नहीं की। दो—तीन दिन बाद उसे पता लगा कि जलाराम मर गया है। फिर भी वह उसके घर नहीं गया। वह उसके घर तीन—चार माह बाद गया था। उसने सुना था कि जालाराम मर गया है। उसे मोटरसाईकिल के नम्बर याद नहीं है। विनोद व विक्रम को वह पहले से जानता है। उसने व अकबर ने विनोद व विक्रम को रोका नहीं। अज खुद ने कहा कि वे पीछे थे और वह भाग गया। चालक को उसने उलाहना नहीं दिया क्योंकि उससे तीन माह बाद मिला था। इस तथ्य से इन्कार किया कि उसने दुर्घटना न देखी हो।

**14.** प्रार्थीगण की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्टकर्ता AW-03 भोमाराम को अधिकरण में परीक्षित करवाया गया है। जिसके अनुसार, जालाराम उसका बड़ा भाई था जो सड़क दुर्घटना में दिनांक 05.06.2020 को घायल हो गया था, जिसकी दौरान ईलाज दिनांक 14.06.2020 को जयुपर में मौत हो गयी। उसके भाई की दुर्घटना की सूचना से प्रभुदयाल मेघवाल ने जरिये मोबाईल से दी तक वह बज्जू अस्पताल पहूंचा तो उसका भाई गम्भीर रूप से घायल था डॉक्टर ने उसके भाई को पीबीएम अस्पताल बीकानेर रैफर कर दिया तक उसने भाई को पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया। पीबीएम अस्पताल में अधिकांश डॉक्टर की ड्यूटी कोविड वार्ड में होने के कारण ट्रोमा सेंटर में कोई सीनियर डॉक्टर नहीं था। इसलिए उसने ऑन रिक्वेस्ट दिनांक 07.06.2020 को रैफर करवाकर अपेक्स अस्पताल, जयपुर में भर्ती करवाया। वहां भी उसके भाई की स्थिति दिन—प्रतिदिन खराब होती गयी तक उसने दिनांक 14.06.2020 को अपेक्स अस्पताल से ऑन रिक्वेस्ट एसएमएस अस्पताल जयपुर के लिए डिस्चार्ज करवा लिया। वह अपने भाई को एसएमएस अस्पताल पहूंचा तो रास्ते में उसकी मौत हो गयी। एसएमएस अस्पताल में कोविड के मरीजों की भीड़ होने के कारण उन्होंने उसे पुलिस को सूचना देने को कहा तक उसने बज्जू पुलिस थाने में सूचना दी तो बज्जू पुलिस ने लाश को बज्जू अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया। लिखित रिपोर्ट उसने दिनांक 15.06.2020 को दी थी। वह अपने भाई के ईलाज में जयपुर व्यस्त था तथा लॉकडाउन होने के कारण आने—जाने का साधन नहीं था, इसलिए मुकदमा देरी से दर्ज करवाया। दुर्घटना पिकअप नम्बर आरजे 07 जीडी 2236 से हुई थी जिसकी उसे बाद में जानकारी हुई। उक्त दुर्घटना पिकअप चालक की गलती से हुई थी। जांच प्रति परीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी इस तथ्य से इन्कार किया कि 05.06.2020 को लॉकडाउन न हो। इस तथ्य को स्वीकार किया कि जयपुर अपेक्स अस्पताल में जरिये कोई सूचना नहीं दी। अज खुद ने कहा कि अस्पताल वालों को उसने बता दिया था।इस तथ्य को स्वीकार किया कि दिनांक 15.06.2020 से पूर्व इस दुर्घटना बाबत् कोई सूचना देने बाबत् कोई पुलिस का रोजनामचा या प्राथमिकी सम्बंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। अपेक्स अस्पताल में उसका भाई 07—14 तारीख तक भर्ती रहा। उसे दुर्घटना के 15—20

दिन बाद वाहन के नम्बर की जानकारी हुई थी जो उसे प्रभुदयाल, फते खां व अकबर ने बताये थे जो मुकदमा दर्ज कराने के 15 दिन बाद मिले थे। इस तथ्य से इन्कार किया कि उसका भाई स्वयं मोटरसाईकिल चलाते हुए स्वयं की गलती से गिर कर दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो। इस तथ्य से इन्कार किया कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 से मिलकर इस वाहन को दुर्घटना में गलत रूप से लिप्त किया हो।

**15.** इस सन्दर्भ में मेरे द्वारा सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में स्वीकृत स्थिति है कि उक्त दुर्घटना दिनांक 05.06. 2020 को घटित हुई थी। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक के भाई भोमाराम द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रदर्श–01 प्रस्तुत करते हुए दर्ज करवायी थी। इस सम्बंध में बीमा कम्पनी की यह आपत्ति रही है कि उक्त दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट 10 दिन के विलम्ब से अज्ञात वाहन के विरुद्ध दर्ज करवायी गयी है तथा प्रश्नगत वाहन को दुर्घटना के साढ़े छह माह बाद जब्त किया गया है, जिससे ये सम्भावना उत्पन्न होती है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी वाहन स्वामी व चालक के साथ मिलकर गलत रूप से बीमित वाहन को दुर्घटना में संलिप्त किया गया है। इस सम्बंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिकरण का समाधान इस प्रकार है कि जहां तक प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करवाये जाने कप प्रश्न है इस सम्बंध में अधिकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय **Ravi Vs. Badrinarayan & Ors. AIR 2011 SC 1226** वाले मामलें में प्रतिपादित सिद्धान्त का अवलम्ब लेना चाहेगा है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि इस प्रकार के मामलों में अधिकरण को सतर्कता एवं सावधानी से इस तथ्य की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या प्रकरण में देरी से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने का कारण गलत रूप से वाहन को दुर्घटना में संलिप्त करना रहा है। अधिकरण के मत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में हुई देरी प्रत्येक प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। उपरोक्त बिन्दू पर पत्रावली का अवलोकन किये जाने से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट परिवादी भोमाराम द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट में उसके द्वारा दुर्घटना की रिपोर्ट देरी से लिखाये जाने का कारण अपने भाई के ईलाज के लिए जयपुर में होने व लॉक डाउन के चलते आवागमन के साथ न होने के कारण एफआईआर में दर्ज करवाने में देरी होने का तथ्य स्पष्ट रूप से अंकित करवाया है। उक्त तथ्य की पुष्टि प्रदर्श–09 पीबीएम अस्पताल के बैडहेड टिकट व इन्ही दस्तावेजों के साथ सलंग्न एपेक्स अस्पताल के द्वारा जारी दस्तावेज Left Againest medical Advice Department of neurosurgery के अवलोकन से होती है। पीबीएम अस्पताल के बैडहेड टिकट में प्रार्थी का दिनांक 05.06.2020 से दिनांक 07.06.2020 तक A/H/O RTA के साथ अस्पताल में भर्ती रहना स्पष्ट है। उसके पश्चात् दिनांक 07.06.2020 से 14.06.2020 तक एपेक्स अस्पताल में भर्ती रहने की पुष्टि Department of neurosurgery, Apex Hospital Jaipur द्वारा जारी किये गए दस्तावेज से होती है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्टकर्ता AW-03 भोमाराम को अधिकरण में परीक्षित करवाया है जिसके द्वारा अधिकरण में सशपथ कथन किया है कि ″डॉक्टर ने उसके भाई को पीबीएम अस्पताल बीकानेर

रैफर कर दिया तक उसने भाई को पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया। पीबीएम अस्पताल में अधिकांश डॉक्टर की ड्यूटी कोविड वार्ड में होने के कारण ट्रोमा सेंटर में कोई सीनियर डॉक्टर नहीं था। इसलिए उसने ऑन रिक्वेस्ट दिनांक 07.06.2020 को रैफर करवाकर अपेक्स अस्पताल, जयपुर में भर्ती करवाया। वहां भी उसके भाई की स्थिति दिन–प्रतिदिन खराब होती गयी तक उसने दिनांक 14.06.2022 को अपेक्स अस्पताल से ऑन रिक्वेस्ट एसएमएस अस्पताल जयपुर के लिए डिस्चार्ज करवा लिया। वह अपने भाई को एसएमएस अस्पताल पहूंचा तो रास्ते में उसकी मौत हो गयी।"

**16.** उपरोक्त मेडिकल दस्तावेज व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने उनके क्लेम पर विपरीत असर नहीं ड़ालता है।

**17.** इसके अतिरिक्त बीमा कम्पनी की ओर ये यह आपत्ति भी ली गयी है कि दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात वाहन के विरुद्ध दर्ज करवायी गयी थी। बाद में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का पता नहीं चलने पर उनके द्वारा अप्रार्थी वाहन चालक व स्वामी के साथ मिलकर गलत रूप से बीमित वाहन को दुर्घटना में संलिप्त किया गया है। इस सम्बंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो बीमा कम्पनी द्वारा बीमित वाहन के दुर्घटना में संलिप्त न होने व अप्रार्थी वाहन स्वामी व चालक से मिलकर गलत रूप से बीमित वाहन के विरुद्ध चालान प्रस्तुत कराने के सम्बंध में कोई अन्वेषण किया गया हो ऐसी कोई अन्वेषण रिपोर्ट या अन्वेषणकर्ता को अधिकरण के समक्ष परीक्षित नहीं करवाया है। इसके अतिरिक्त बीमित वाहन को पुलिस द्वारा गलत रूप से दुर्घटना में संलिप्त किया गया हो इस सम्बंध में भी उनके द्वारा पुलिस के उच्चाधिकारियों या न्यायालय में कोई शिकायत दर्ज करवायी गयी हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसके विपरीत प्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत वाहन के दुर्घटना में संलिप्त होने के सम्बंध में दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में AW-02 फते खां को अधिकरण में परीक्षित करवाया है जिसके द्वारा सशपथ उक्त दुर्घटना पिकअप चालक की गलती से हुई थी क्योंकि दुर्घटना के समय पिकअप चालक पिकअप को लापरवाही से चला रहे होने का कथन करते हुए उनके पुलिस बयानों के सम्बंध में कथन किया है कि पुलिस में उसके बयान चार–पांच माह बाद हुए थे क्योंकि उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था और लॉकडाउन खुलने के बाद पुलिस ने उन्हें बुलाया और उनके बयान लिये। उक्त साक्षी द्वारा जांच प्रति परीक्षण में स्पष्ट किया कि जब वह मौके पर पहूंचा तो मोटरसाईकिल वाला रोड पर पड़ा था। मोटरसाईकिल बायीं साईड में पड़ी थी। मोटरसाईकिल काले रंग की थी और लाल पट्टे थे। इस तथ्य से इन्कार किया कि उसने दुर्घटना न देखी हो। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त साक्षीगण से ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया गया है जिससे की इनकी साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके, ना ही उनके द्वारा उक्त साक्ष्य के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। इसके अतिरिक्त जहां तक उक्त साक्षी के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का प्रश्न है तो उक्त साक्षी द्वारा

अपने जांच प्रति परीक्षण में मोटरसाईकिल काले रंग की व लाल पट्टे होने का कथन किया है तथा फर्द मुलाहिजा व सुपूर्दगी मोटरसाईकिल प्रदर्श–13 में भी उक्त मोटरसाईकिल का रंग बैरंग लाल–काला होना अंकित है जो उक्त साक्षी के घटना स्थल पर मौजूद होने के तथ्य की पुष्टि करता है। बीमा कम्पनी की उक्त प्रतिरक्षा के सम्बंध में अधिकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त **United India Insurance Co. Ltd. Vs. Smt. Laxmi nayak & Ors. S.B. Civil Misc Appeal No. 1840/13 decided on 13-08-2019 का** अवलम्ब लेना चाहेगा जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात वाहन के विरूद्ध दर्ज की गई थी। वाहन चालक द्वारा दुर्घटना में वाहन की लिप्तता व चालक द्वारा वाहन चालन के तथ्य को स्वीकार किया गया तथा इस आधार पर वाहन चालक के विरूद्ध फौजदारी न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने एवं दुर्घटना में वाहन कि सलिप्तता, मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट की सम्पुष्ठिकारक साक्ष्य के आधार पर उक्त दृष्टान्त में प्रार्थी पक्ष के क्लेम को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए वाहन चालक एवं प्रश्नगत वाहन की दुर्घटना में संलिप्तता की उपधारणा की गई है। हस्तगत प्रकरण में भी प्रश्नगत वाहन को जरिये प्रदर्श–03 जब्त किया गया है। जिसमें प्रश्नगत वाहन के आगे की तरफ ड्राईवर साईड में बम्फर व मरगार्ड पर रगड़क लगकर मुचा हुआ व रंग उतरा होना जैसी क्षतियां अंकित की गयी है जो प्रश्नगत वाहन के दुर्घटना में संलिप्त होने के तथ्य की पुष्टि करती है। दुर्घटना किसी यांत्रिक खराबी का परिणाम हो यह प्रदर्श–04 मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट के अवलोकन से समाधान नहीं होता। इसके अतिरिक्त वाहन स्वामी द्वारा दिये गए नोटिस धारा 133 एम.वी.एक्ट के जवाब प्रदर्श–05 में उसके द्वारा दुर्घटना के समय प्रश्नगत वाहन को चालक विक्रम सिंह द्वारा चलाये जाने का कथन किया गया है तथा प्रश्नगत वाहन के चालक विक्रम सिंह द्वारा भी नोटिस धारा 134 एम.वी.एक्ट के जवाब प्रदर्श–06 में दुर्घ्झटना में स्वयं द्वारा वाहन चलाये जाने के तथ्य की पुष्टि की है एवं बाद अनुसंधान पुलिस द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 विक्रम सिंह की गफलत एवं लापरवाही मानते हुए उसी के विरुद्ध आरोप–पत्र प्रदर्श–41 सम्बंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

**18.** जहां तक प्रश्नगत वाहन को साढ़े छह माह बाद जब्त किये जाने का प्रश्न है तो इस सम्बंध में अधिकरण का समाधान इस प्रकार है कि दुर्घटना के समय सम्पूर्ण देश भर में कोराना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा था तथा लोगों के मध्य उक्त महामारी को लेकर भव्य व्याप्त था। इसी कारण दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के बयान भी पुलिस द्वारा घटना के लगभग 04 माह बाद दर्ज किये गए जिसकी पुष्टि प्रदर्श–43 ता 45 के अवलोकन से होती है। जिनमें प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण द्वारा प्रश्नगत वाहन की प्रकृति व पंजीयन नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित करवा दिये गए थे, किन्तु उसके पश्चात् भी विद्यमान कोरोना महामारी (COVID–19) की परिस्थितियाँ के कारण सामान्य जनजीवन एवं प्रशासनिक कार्य प्रभावित थे। इस कारण प्रश्नगत वाहन की फर्द जब्ती विलम्ब से किया जाना अभिलेखीय परिस्थितियों के अनुरूप स्वाभाविक एवं संभाव्य प्रतीत होता है। अतः बीमा कम्पनी को उक्त

आपतियों से भी कोई सम्बल प्राप्त नहीं होता कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी वाहन चालक व स्वामी से मिलकर बीमा कम्पनी से क्लेम प्राप्त करने के लिए प्रश्नगत बीमित वाहन को गलत रूप से दुर्घटना में संलिप्त किया है, इसलिए क्लेम याचिका खारिज की जावें। इस सम्बंध में अधिकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **2024 (1) R.A.R. 173 (Raj.) Shriram General Insurance Company Ltd. Vs. Krishna & Ors.** का अवलम्ब लेना चाहेगा। जिसके पैरा संख्या 11 के अनुसार,

"यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि घटना के सम्बंध में बीमा कम्पनी की ओर से प्रश्नगत वाहन को मामलें की घटना में झूठा लिप्त किये जाने का आक्षेप अवश्य लिया है, किन्तु इस सम्बंध में बीमा कम्पनी द्वारा अधिकरण के समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे घटना के विवरण के सम्बंध में दावाकर्तागण की ओर से अधिकरण के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है, उसका खण्डन होता हो। दूसरे शब्दों में कहें तो घटना के विवरण के सम्बंध में दावाकर्तागण की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी, उसका किसी प्रकार से कोई खण्डन विपक्षीगण की ओर से नहीं किया जा सका। मोटन वाहन दुर्घटना के दावों में संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाकर उनका निस्तारण किया जाता है। ऐसे मामलों में निर्णय साक्ष्य की बाहूल्यता के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार के मामलों में घटना की युक्तियुक्त सन्देंह से परे साबित किये जाने की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि आपराधिक मामलों में होता है। दावाकर्तागण की ओर से जो साक्ष्य अधिकरण के समक्ष घटना के विवरण के सम्बंध में प्रस्तुत की गयी, वह अखण्डित रही व उस पर अविश्वास किये जाने का हमारे समक्ष कोई कारण नहीं है। इस सम्बंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत जाना बाई बनाम मैसर्स आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, सिविल अपील नम्बर–21077/2019 में पारित निर्णय दिनांक 10 अगस्त, 2020 में निम्नलिखित उद्धृण दर्शनीय हैः–

**"We Find that the rule of evidence to prove charges in a criminal trial cannot be used while deciding an application under Section 166 of the Motor Vehicles Act, 1988 which is summary in nature. There is no reason to doubt the veracity of the statement of appellant No. 1 who suffered injuries in the accident. The application under the Act has to be decided on the basis of evidence led before it and not on the basis of evidence which should have been or could have been led in a criminal trial. We find that the entire approach of the High court is clearly not sustainable."**

**19.** उपरोक्त विवचेन के आधार पर अधिकरण बीमा कम्पनी की ओर से ली गयी इस आपत्ति में सार नहीं पाता कि हस्तगत घटना सन्देहास्पद है तथा उक्त घटना में प्रश्नगत वाहन को मिलीभगत कर झूठा संलिप्त किया गया है।

**20.** जहां तक बीमा कम्पनी की ओर से दौराने बहस प्रस्तुत किये गए न्यायिक दृष्टांतों का प्रश्न है तो उक्त न्यायिक दृष्टांतों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि वाहन की संलिप्तता स्थापित नहीं होती है तो केवल दुर्घटना होना पर्याप्त नहीं है एवं दावेदार कर्ता द्वारा एक बार दस्तावेज पेश कर देने पर व उक्त दस्तावेज की अन्र्तवस्तु से पीछे से नहीं हट सकता। जिस क्षण वह ऐसा करता है उस समय एक साक्षी को रूप में उसकी विश्वसनियता प्रश्न करने के योग्य हो जाती है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी पक्ष को प्राथमिकी में किये गए कथनों से बदलने की आज्ञा नहीं दी जा सकती तथा विलम्ब से प्राथमिकी दर्ज करवाना दावेदार के क्लेम को घातक बनाता है तथा आवेदक के कथनों में विरोधाभास अगर हो तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया है उसको चालक के रूप में मानना चालान के आधार पर कनक्लूजीव प्रुफ नहीं है। उक्त न्यायिक दृष्टांतों में फर्जी प्रकरणों बाबत् दिशा–निर्देश भी पारित किये गए है एवं मामले को स्थापित करने हेतु सबुत का भार दावेदार पर होता है एवं धारा 166 में गलती व लापरवाही साबित किये बिना याचिका साबित नहीं मानी जा सकती तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप–पत्र, मौलिक साक्ष्य नहीं है। इस सन्दर्भ में पत्रावली का विचार करें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **2025 ACJ 867 Kuncham Lavanya And Others Vs. Bajaj Allianz General Ins. Co. Ltd.** के प्रकरण में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहां प्रश्नगत वाहन को पहचान करने में देरी हुई हो वहां यदि अन्य प्रबल साक्ष्य से मामला साबित हो रहा है तो ऐसी देरी घातक नहीं है तथा आरोप–पत्र एवं अन्य दस्तावेजों से मामला साबित होता है तो अधिकरण क्लेम पारित कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी सुस्थापित विधि है कि क्लेम प्रकरणों को मात्र सम्भाव्यता की आधिक्यता के आधार पर तय करता होता है एवं सन्देह से परे साबित नहीं करना होता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्तानुसार जो विवेचन पत्रावली पर आये मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को आधार पर किया गया है उसे देखते हुए व उपरोक्त विवेचन के क्रम में प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टांत का लाभ बीमा कम्पनी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

**21.** इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत वाहन पंजीयन प्रमाण–पत्र प्रदर्श–10 के अनुसार दुर्घटना के समय अप्रार्थी संख्या 01 का पंजीकृत स्वामी होना, ड्राईविंग लाईसेंस प्रदर्श–11 के अनुसार, अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा दुर्घटना के समय वाहन को वैध एवं प्रभावी लाईसेंस के साथ चलाने व प्रदर्श–12 बीमा पॉलिसी के अनुसार, प्रश्नगत वाहन का दिनांक 16.01.2020 से 15.01.2021 तक अप्रार्थी संख्या 03 के यहां बीमित होने का समाधान होता है। इस प्रकार प्रार्थी पक्ष अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित कराने में सफल रहे है कि प्रश्नगत वाहन के चालक अप्रार्थी संख्या 02 विक्रम सिंह द्वारा उक्त वाहन को गफलत व लापरवाही से चलाते हुए उक्त दुर्घटना कारित की तथा उक्त दुर्घटना में आयी चोटों के कारण जालाराम की मृत्यु हो गयी। वरवक्त दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रश्नगत वाहन को अप्रार्थी संख्या 01 के नियोजन, निर्देशन व नियंत्रण में,

उसके हितार्थ व लाभार्थ चलाया जाना प्रमाणित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवाद्यक संख्या 01 व 02 प्रार्थीगण के पक्ष में तय किये जाते हैं।

**विवाद्यक संख्या–03**

**22.** उपरोक्त विवाद्यक को साबित करने का भार अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कम्पनी पर है। अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से जो आपत्तियों ली गयी है उनका निस्तारण विवाद्यक संख्या 01 व 02 में किया जा चुका है। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी आपत्तियों के सम्बंध में कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी। प्रदर्श–12 के अनुसार, वरवक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन अप्रार्थी संख्या 03 के यहां बीमित था। उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवाद्यक संख्या 03 अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कम्पनी के विरुद्ध तय किया जाता है।

**विवाद्यक संख्या–04**

**23.** उपरोक्त विवाद्यक संख्या 04 को साबित करने का भार प्रार्थी पक्ष पर है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी AW-01 ललिता द्वारा जांच मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दुर्घटना के समय उसके पति की आयु 27 साल थी जो खेती व ड्राईवरी का कार्य करते हुए प्रतिमाह 10 हजार रुपये कमा लेते थे। उसके पति के ईलाज पर 05 लाख रुपये खर्च हो गए। मृतक पर वे प्रार्थीगण आश्रित थे। प्रार्थीया द्वारा अपने पति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डीएल, दवाईयों के बि व जमा रसीदे आदि प्रदर्शित करवाते हुए जांच प्रति परीक्षण में स्वीकार किया कि उसने अपने पति की आय बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसने अपने पति के अपेक्स अस्पताल जयपुर के फाईनल बिल की प्रति एवं बेडहेड टिकट की प्रति पेश नहीं की है। प्रदर्श–27 प्रोविजनल बिल है। इस तथ्य से इन्कार किा कि उसके पति की मृत्यु कोरान से हुई हो।

मेरे द्वारा इस संदर्भ में प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोंकन किया गया। इस सम्बंध में बिन्दूवार विवेचन निम्न प्रकार हैः–

**मृतक की आयु**

**24.** जहां तक वरवक्त दुर्घटना मृतक की आयु का प्रश्न है तो इस सम्बंध में क्लेम याचिका में मृतक की आयु 27 वर्ष बतायी गयी है तथा प्रार्थीया ललिता द्वारा जांच मुख्य परीक्षण में साक्षी ने अपने पति की आयु 27 वर्ष होने का कथन किया है तथा इस सम्बंध में प्रार्थीगण द्वारा मृतक जालाराम का चालक अनुज्ञा पत्र प्रदर्श–14 पेश किया गया है जिसमें मृतक की जन्म तिथि 02.01.1983 अंकित है। जिसके आधार पर मृतक की आयु वक्त दुर्घटना 37 वर्ष 05 माह 03 दिन थी। अतः मृतक के चालक अनुज्ञा पत्र प्रदर्श–14 में वर्णित तथ्यों के आधार पर मृतक की आयु 37 वर्ष निर्धारित की जाती है। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विनिश्चय **Sarla Verma & Ors vs Delhi Transport Corp.& Anr AIR 2009 SUPREME**

**COURT 3104** में प्रतिपादित सिद्धान्त में पंचाट राशि का निर्धारण करने हेतु 15 का गुणक लागू किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

## मृतक की आय

**25.** इस सन्दर्भ में क्लेम याचिका में मृतक द्वारा ड्राईवरी व कृषि का कार्य करना एवं करीब 10,000/– प्रतिमाह आय अर्जित करना वर्णित किया गया है तथा AW-01 प्रार्थीया ललिता द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में उसके पति द्वारा खेती व ड्राईवरी का कार्य करते हुए करीब 10,000/– प्रतिमाह कमा लेने का कथन किया है, किन्तु इस सम्बंध में उनके द्वारा मृतक के नियोजक को अधिकरण में परीक्षित नहीं करवाया है तथा न ही दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज अधिकरण में प्रदर्शित करवाये गए है जिससे मृतक की आय प्रमाणित हो सके। ऐसी स्थिति में स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में मृतक की आयु, व्यवसाय की प्रकृति व प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मृतक को स्वनियोजित मानते हुए उसकी आय तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार कुशल श्रमिक के आधार पर निर्धारित किया जाना उचित प्रतीत होता है, चूंकि हस्तगत दुर्घटना दिनांक 05.06.2020 को घटित हुई थी, जबकि राजस्थान में वर्ष 2020 की न्यूनतम मजदूरी की दरे दिनांक 01.07.2020 से लागू की गयी थी, इसलिए हस्तगत प्रकरण में आय का निर्धारण वर्ष 2019 में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर किया जा रहा है जो कि राजस्थान सरकार के श्रम विभाग की अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2019 में कुशल श्रमिक की मजदूरी 249/– रुपये प्रतिदिन थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के विनिश्चय **LEELARAM VS. DESHRAJ 2021 Vol. 02 ACTC Page 1113 Decided on 09-12-2021** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार, मासिक आय का निर्धारण कार्यदिवस 30 दिन मानते हुए निर्धानित किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में भी मृतक की आयु का निर्धारण 30 कार्यदिवस मानते हुए किया जाना न्यायोचित है। राजस्थान में श्रम विभाग की अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2019 में प्रचलित कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी की दर के आधार पर 249/– रूपये प्रतिदिन के आधार पर 30 कार्यदिवस मानते हुए मृतक की आय 7,470/– रूपये प्रतिमाह आंकलित की जाती है।

## भविष्य की संभावना

**26.** इस सन्दर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड़ बनाम प्रणय सेठी व अन्य AIR 2017 SUPREME COURT 5157 Decided on 31-10-2017** के प्रकरण में माननीय संवैधानिक पीठ द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार आय की क्षति के रूप में भावी प्रत्याशा के रूप में प्रार्थीगण को प्रतिकर दिलाना उचित है। मृतक के स्वनियोजित एवं आयु 37 वर्ष होने से मासिक आय का 40 प्रतिशत दिलाना उचित है। इस प्रकार 7,470/– रूपये का 40 प्रतिशत 2988/– रूपये को भविष्य संभावना के रूप में आय की क्षति में सम्मिलित करने पर कुल मासिक आय 10,458/– रूपये नियत की जाती है।

## मृतक पर आश्रित/विधिक प्रतिनिधि

**27.** प्रार्थी संख्या 01 मृतक की पत्नी है तथा प्रार्थी संख्या 02 व 07 मृतक के पुत्र–पुत्री व माता–पिता है, जो दुर्घटना के समय मृतक पर आश्रित थे। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विनिश्चय **Sarla Verma & Ors vs Delhi Transport Corp. & Anr AIR 2009 SUPREME COURT 3104** के अनुसार, दुर्घटना के समय मृतक पर आश्रितों की संख्या 07 होने के कारण मृतक आय में से 1/5 राशि मृतक द्वारा स्वयं के रहन–सहन के रूप में खर्च की जाने वाली राशि के कटौती किया जाना न्यायोचित है।

## आय की क्षति

**28.** मृतक की मासिक आय 10,458/– रूपये में से 1/5 राशि की कटौती किये जाने पर शेष आय 8,366/– रुपये होती है। उक्त मासिक आय को माह व गुणक से गुणा करने पर (8,366 X 12 X 15) आय की क्षति के रूप में कुल राशि 15,05,880/– रुपये निर्धारित की जाती है। यह वह राशि है जिसका क्लेम याचिका के प्रार्थीगण को मृतक की दुर्घटना में असामयिक मृत्यु के कारण नुकसान उठाना पड़ा।

## स्नेह, वात्सल्य, (Consortium) दाह संस्कार एवं सम्पदा की क्षति

**29.** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड़ बनाम प्रणय सेठी व अन्य AIR 2017 SUPREME COURT 5157 Decided on 31-10-2017** के अनुसार इस मद में माता–पिता, सन्तान एवं पति–पत्नी के बाबत् स्नेह, वात्सल्य के रूप में राशि दिलाया जाना के लिए दिशा–निर्देश दिये गए है जिसमें प्रति तीन वर्ष बाद 10 प्रतिशत बढोतरी की जायेगी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्रांक **Gen/XV/61\2023/1145** दिनांक 05.05.2023 के आदेशानुसार, मृतक के आश्रितगण को **filal, Spousal And Parental Consortium** की मद में प्रत्येक प्रार्थी को राशि दिलाये जाने के लिए अधिकरण को निर्देशित किया गया है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण मृतक की पत्नी, पुत्र–पुत्री एवं माता–पिता है, जो मृतक की असमय मृत्यु के कारण उसके प्रेम, स्नेह व दैनिक देखभाल से वंचित हुए हैं इसलिए मृतक के लिए सांत्वना राशि प्रत्येक प्रार्थी को दिलाया जाना न्यायोचित है। मृतक के दाह संस्कार तथा उक्त दुर्घटना में सम्पदा की क्षति के रूप में निम्नांकित राशि दिलवाया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार प्रार्थीगण सांत्वना राशि (प्रत्येक प्रार्थी 48,400 X 7) 3,38,800/– रुपये, दाह संस्कार की मद में 18,150/– रुपये व सम्पदा की क्षति की मद में 18,150/– रुपये प्राप्त करने के अधिकारी है।

## मेडिकल बिल

**30.** इसके अतिरिक्त प्रार्थी AW-01 श्रीमती ललिता द्वारा जांच मुख्य परीक्षण में कथन किया कि उसके पति का पीबीएम अस्पताल बीकानेर एवं एपेक्स अस्पताल

जयपुर में इलाज चला था। उसके पति के इलाज पर करीब 05 लाख रुपए खर्च हो गए तथा उक्त कथनों के समर्थन में ईलाज संबधी दस्तावेजात प्रदर्श–27 से प्रदर्श–40 तक प्रदर्शित करवाये है। दस्तावेज प्रदर्श–28 ता प्रदर्श–40 बिल प्रदर्श– 27 से संबंधित एडवांस रिसीपट होने के कारण उनकी राशि अलग से दिलाये जाने योग्य नहीं है। शेष बिलों की राशि 3,62,592 / – रूपये होती है अतः प्रार्थीगण मृतक के ईलाज संबंधित मेडिकल बिलो के तहत कुल राशि 3,62,592 / – रूपये प्राप्त करने के अधिकारी है।

**31.** इस प्रकार क्लेम याचिका के प्रार्थीगण द्वारा प्राप्त की गई मुआवजा राशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | मृतक की मृत्यु पर आय की क्षति के लिए | 15,05,880/- |
| 2. | सांत्वना राशि (प्रत्येक प्रार्थी 48,400X 7) | 3,38,800/- |
| 3. | दाह संस्कार के लिए | 18,150/- |
| 4. | संपत्ति नुकसान के लिए | 18,150/- |
| 5. | मेडिकल बिल के लिए | 3,62,592/- |
| | कुल योग = | 22,43,572/- |

**32.** इस प्रकार हस्तगत प्रकरण प्रार्थीगण मृतक जलाराम की मृत्यु के संबंध में कुल **22,43,572**/- रूपये प्रतिकर राशि मुआवजे के रूप में प्राप्त करने के अधिकारी है।

**33.** अब यह देखना है कि प्रार्थी उक्त प्रतिकर राशि किस–किस अप्रार्थी से किस–किस प्रकार प्राप्त करने के अधिकारी है। विवाद्यक संख्या 01 व 02 की विवेचना में यह निर्धारित किया गया है कि हस्तगत मोटरयान दुर्घटना प्रश्नगत वाहन चालक अप्रार्थी संख्या 02 की गलती व लापरवाही से घटित हुई थी, वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन पंजीकृत स्वामी अप्रार्थी संख्या 01 का था तथा अप्रार्थी संख्या 02 चालक द्वारा वाहन को अप्रार्थी संख्या 01 के नियोजन, निर्देशन, नियंत्रण में, उसके हितार्थ व लाभार्थ वाहन का संचालित किया जा रहा था तथा प्रश्नगत वाहन अप्रार्थी संख्या 03 के यहां बीमित था। इन परिस्थितियों में अप्रार्थी संख्या 03 क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के लिए दायित्वाधीन है।

**विवाद्यक संख्या 05**

**34.** विवाद्यक संख्या 05 अनुतोष से सम्बन्धित है। उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक संख्या 01 लगायत 04 के निष्कर्ष के अनुसार क्लेम याचिका प्रार्थीगण / प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण ललिता चौधरी आदि अप्रार्थीगण से कुल क्षतिपूर्ति राशि **22,43,572/-** रूपये तथा उस पर क्लेम याचिका अधिकरण के समक्ष प्रस्तुति की दिनांक से वसूली होने तक की

अवधि का 07 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी प्राप्ति की अधिकारी पाया जाता है।

## पंचाट

**35.** अतः प्रार्थीगण श्रीमती ललीता चौधरी आदि का आवेदन धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 अप्रार्थी संख्या 01 विनोद गिरी, अप्रार्थी संख्या 02 विक्रम सिंह तथा अप्रार्थी संख्या 03 टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के विरूद्ध संयुक्त रूप से या पृथक—पृथक रूप से स्वीकार किया जाकर **कुल 22,43,572**/- (बाईस लाख तैतालीस हजार पांच सौ बहत्तर रुपये मात्र) का अवार्ड पारित किया जाता है। धारा 140 एम.वी. एक्ट के तहत यदि कोई अंतरिम प्रतिकर सहायता प्रार्थीगण द्वारा प्राप्त की गई है तो उक्त अवार्ड राशि में समायोजित की जावेगी। प्रार्थीगण को **Consortium head** में प्राप्त राशि 3,75,100 / — रुपये पर ब्याज देय नहीं होगा, किन्तु बाद अपील अवधि भी भुगतान विपक्षी द्वारा नहीं किये जाने पर पंचाट राशि पर निर्धारित ब्याज दर से उक्त राशि प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। शेष अवार्ड राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक 13.05.2022 से साधारण ब्याज दर 07.00 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देय होगा। प्रार्थीगण की शेष प्रतिकर राशि की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है। प्रार्थीगण में अवार्ड के अनुसार प्रतिकर विभाजन निम्न प्रकार से किया जायेगाः—

| क्र.सं. | प्रार्थी / प्रार्थीगण का नाम | बचत खाता | एफ.डी.आर. | अवधि |
|---|---|---|---|---|
| 01 | श्रीमती ललिता चौधरी पत्नी स्व. श्री जालाराम | 2,43,572 / — मय ब्याज | 1,00,000 / — प्रति वर्ष | एक वर्ष से सात वर्ष तक कुल 07 लाख रूपये |
| 02 | मुकेश पुत्र स्व. श्री जालाराम | — | 3,00,000 / — मय ब्याज | बालिग होने तक |
| 03 | श्रीमती विमला पुत्री स्व. श्री जालाराम | — | 3,00,000 / — मय ब्याज | बालिग होने तक |
| 04 | आरती पुत्री स्व. श्री जालाराम | — | 3,00,000 / — मय ब्याज | बालिग होने तक |
| 05 | ममता पुत्री स्व. श्री जालाराम | — | 3,00,000 / — मय ब्याज | बालिग होने तक |
| 06 | श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री जेठाराम | 50,000 / — मय ब्याज | — | — |
| 07 | जेठाराम पुत्र श्री साजनराम | 50,000 / — मय ब्याज | — | — |

**36.** दोनों पक्ष माननीय उच्चत न्यायालय के विनिश्चय **AIR 2025 SC 1713 Perminder Singh Vs. Hani Goyal** वाले मामलें में दिये गए दिशा—निदेर्शों की पालना सुनिश्चित करें, इस हेतु निम्न आदेश पारित किया जाता है किः—

I. सम्बंधित आदेशित भुगतानकर्ता पक्ष उक्त पंचाट में पारित आदेशानुसार राशि **22,43,572**/– मय ब्याज अवार्ड में वर्णित आवेदकगण के बैंक खातों में नियमानुसार जमा करवायें।

II. आवेदकगण सम्बंधित भुगतानकर्ता पक्ष को नियमानुसार अपने MACT बैंक खाते सम्बंधी सूचना अविलम्ब अप्रार्थीगण/भुगतानकर्ता को व अधिकरण को मय सत्यापित आवश्यक दस्तावेज के उपलब्ध कराये।

a) खाता धारक का नाम
b) बैंक का नाम मय स्थान
c) पेनकार्ड संख्या
d) खाता संख्या
e) IFSC कोड
f) आधार कार्ड

III. यदि आवेदकगण उक्त बैंक सम्बंधी विस्तृत सूचना आदेश की तिथि के 30 दिवस की अवधि के भीतर अधिकरण व सम्बंधित भुगतानकर्ता पक्ष को उपलब्ध नहीं करवाते है व सम्बंधित भुगतानकर्ता लिखित में अधिकरण के समक्ष आवार्ड राशि जमा करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है तो भुगतान सम्बंधी सुचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भुगतानकर्ता उक्त आवेदन की तिथि के बाद जब तक आवेदकगण द्वारा उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करवायी जाती है तब तक उक्त अवार्ड राशि पर किसी प्रकार का उक्त अवधि तक ब्याज देय नहीं होगा। सम्बंधित भुगतानकर्ता पक्ष सम्पूर्ण सुचनाएं सत्यापित कर बाद जांच उक्त अवार्ड राशि सम्बंधित बैंक खाते में सावधानीपूर्वक जमा करायेंगे। जिसके लिए वे पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।

IV. आवेदकगण एक अण्डरटेकिंग अविलम्ब इस आशय की भी प्रस्तुत करें कि वो अपने खाते में भुगतानकर्ता पक्ष द्वारा जमा राशि का अधिकरण द्वारा पारित आदेश की पालना सुनिश्चित होने यथा सावधि जमा आदि होने के पश्चात् ही नियामानुसार निकासी करेंगे।

V. आवेदकगण द्वारा अपने बैंक खाते की डिटेल प्रस्तुत करने पर लिपिक उक्त सम्बंधित बैंक को अधिकरण के पंचाट आदेश की प्रति भेजकर अधिकरण के आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु अविलम्ब आदेश की प्रति **E-mail** करेंगे व पालना होने पर बैंक सम्पूर्ण डिटेल इस अधिकरण को प्रेषित करेंगे। सम्बंधित बैंक इस तरह के MACT Bank Account बबात् जारी समस्त परिपत्रों की आवश्यक रूप से पालना करेंगे।

VI. सम्बंधित अप्रार्थी पक्ष द्वारा राशि उक्तानुसार जमा कराने पर उपरोक्त सूचना मय दस्तावेज अधिकरण में प्रस्तुत करेंगे।

VII. प्रार्थीगण का बैंक प्रार्थीगण को उक्त सावधि जमाओ के आधार पर अधिकरण के अनुमति के बिना कोई ऋण या अग्रिम राशि स्वीकृत नहीं करेगा तथा परिपक्वता पूर्व भुगतान नही करेगा।

VIII. प्रार्थीगण का बैंक अधिकरण की अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को संयुक्त खाताधारक के रूप में नही जोडेगा।

IX. प्रार्थी के नाबालिग होने की दशा में इस प्रकृति का उसके बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत किया जावे जिसमें उसके संरक्षक का नाम विनिर्दिष्ट हो।

X. प्रार्थी/आहत के नाम जो एफ.डी.आर. की गई है उन सभी पर मासिक ब्याज जरिये बचत खाता देय होगा।

XI. **यदि अप्रार्थीगण/भुगतानकर्ता प्रार्थीगण को मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि के ब्याज का TDS काटा गया है तो उसका पूर्ण विवरण निर्णय में दिये गए प्रपत्र के अनुसार अधिकरण के समक्ष पेश करेंगे। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण TDS की कटौती दशा में फार्म नम्बर 16A भी अधिकरण के समक्ष अधिकरण में प्रस्तुत करते हुए अधिकरण व प्रार्थीगण के अधिवक्ता को भी सूचित करेंगे।**

**(अनवर अहमद चौहान)**
**न्यायाधीश**
**मोटर दुर्घटना क्लेम अधिकरण,**
**बीकानेर (राज0)**

उक्त निर्णय कुल 19 पृष्ठों में समाहित है, जिसका प्रत्येक पृष्ठ मेरे द्वारा जांचकर हस्ताक्षरित किया गया है।

निर्णय आज दिनांक 21 **जुलाई, 2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

**(अनवर अहमद चौहान)**
**न्यायाधीश**
**मोटर दुर्घटना क्लेम अधिकरण,**
**बीकानेर (राज0)**

Signature Not Verified

Digitally Signed by
Bahiruratan Ojha
Steno Grade-II